

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
पलवी बनाम रामकरण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

रिस्टर प्रकरण संख्या 169 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
24.09.2025	<p>वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी स्वीकार होने पर मूल प्रार्थना पत्र को पुनः दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं अन्तरिम आदेश बहाल किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली वास्ते तल्बी अप्रार्थीगण आईन्दा तारीख 20.12.2025 को पेश हो।</p>	
3-12-2016	<p>म</p> <p>कुलाप कलकन पासथ (P) मडः मुतावकी पत्रावली बिनाक पत्र के 4</p>	
4-12-2025	<p>वकील प्रार्थी ने पार्वना-पत्र निशाल पेकी केस करने पर पत्रावली को पेकी में लिखा गया। वकील प्रार्थी ने निचेवन लिखा कि पार्वना पत्र आगे नही चलाना चाहते है। मौजूदा दिवसी में जारीज करवाना चाहते है। अतः पार्वना-पत्र मौजूदा दिवसी में जारीज लिखा जाता है। पत्रावली नम्बर के काम भी जायद जायद वकील वकील जायदा लिखित लिखत है।</p> <p>म</p>	<p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>

